भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2381

जिसका उत्तर 13 मार्च, 2025 को दिया जाना है।

.....

हिंडन, कृष्णा और पांवधोई नदियों में प्रदूषण

2381. श्री इमरान मसूद:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास सहारनपुर लोक सभा क्षेत्र से होकर बहने वाली हिंडन, कृष्णा और पांवधोई नदियों में प्रदूषण को रोकने के लिए कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान हिंडन और कृष्णा नदियों के किनारे बसे गांवों में दूषित भूमिगत जल के कारण कैंसर, श्वसन संबंधी समस्याएं, डायरिया, हड्डी रोग और त्वचा रोग जैसी बीमारियों के कारण सैकडों लोगों की जान चली गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त नदियों के किनारे बसे गांवों के भूमिगत जल में पाए जाने वाले आर्सेनिक और फ्लोराइड की मात्रा का ब्यौरा स्वीकृत अहानिकर मात्रा की तुलना में कितना है;

(घ) हिंडन, कृष्णा और पांवधोई नदियों के रासायनिक ऑक्सीजन मांग (सीओडी) के स्तर का ब्यौरा स्वीकृत अहानिकर मात्रा की तुलना में कितना है; और

(ङ) क्या सरकार के पास प्रदूषित क्षेत्रों में आर्सेनिक हटाने वाले संयंत्र लगाने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): जी, हां। भारत सरकार नमामि गंगे कार्यक्रम की केंद्रीय क्षेत्र योजना के माध्यम से गंगा बेसिन में नदियों/सहायक नदियों में प्रदूषण कम करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को संपूरित कर रही है। उल्लिखित नदियों के प्रदूषण निवारण के लिए 'नमामि गंगे कार्यक्रम' के तहत सहारनपुर में 135 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) के लिए एक व्यापक प्रदूषण निवारण परियोजना को मंजूरी दी गई है। हिंडन और उसकी सहायक नदियों में प्रदूषण को रोकने के लिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के समन्वय से *"हिंडन और उसकी सहायक नदियों के प्रदूषण स्रोत मानचित्रण*

और प्रदूषित खंडों के लिए पुनरूद्धार योजना" नामक एक योजना तैयार की है। यह योजना सीपीसीबी की वेबसाइट पर उपलब्ध है:

https://cpcb.nic.in/openpdffile.php?id=UHVibGljYXRpb25GaWxlLzk5NF8xNzI5NjgyMDExX1BvbGx1dGlvbiBTb3VyY2UgTWFwcGluZyBvZiBSaXZlciBIaW5kb24ucGRm।

कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा राज्य स्तर पर नदी पुनरुद्धार समिति (आरआरसी) और केंद्रीय स्तर पर जल शक्ति मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में गठित केंद्रीय निगरानी समिति (सीएमसी) द्वारा की जाती है।

(ख): जी, नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार से ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, जिसमें भूजल जल के प्रदूषित होने से कैंसर, श्वास संबंधी समस्या, डायरिया, अस्थि रोग, त्वचा रोग जैसी बीमारियों के कारण होने वाली जनहानि का उल्लेख हो। स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश से प्राप्त सूचना के अनुसार हिंडन नदी बेसिन में नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच की जाती है।

(ग) और (ङ): हिंडन नदी बेसिन में आने वाले उत्तर प्रदेश के जिलों के आठ स्थानों से आर्सेनिक और फ्लोराइड से संबंधित भूजल की जल गुणवत्ता के आंकड़े अनुलग्नक में दिए गए हैं, जो यह दर्शाता है कि सभी स्थानों पर जल की गुणवत्ता बीआईएस पेयजल-विनिर्देश (आईएस 10500:2012) के अनुसार स्वीकार्य सीमा के भीतर है। उत्तर प्रदेश जल निगम, ग्रामीण द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जल जीवन मिशन में आर्सेनिक हटाने वाले संयंत्र लगाने की कोई योजना नहीं है।

(घ): केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानदंडों के अनुसार, नदी के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए स्नान के जल के लिए निम्नलिखित प्राथमिक जल गुणवत्ता मानदंड निर्धारित किए गए हैं:

i. घुलित ऑक्सीजन: 5 मिलीग्राम/लीटर या अधिक;
ii. जैविक ऑक्सीजन मांग (बीओडी): 3 मिलीग्राम/लीटर या उससे कम;
iii. पीएच 6.5 से 8.5 के बीच;
iv. फेकल कोलीफॉर्म: 500 एमपीएन/100 मिली (वांछनीय), 2500 एमपीएन/100 मिली (अधिकतम स्वीकार्य);
v. फेकल स्ट्रेप्टोकोकी: 100 एमपीएन/100 मिली (वांछनीय), 500 एमपीएन/100 मिली (अधिकतम स्वीकार्य)।

*****

अनुलग्नक

“हिंडन, कृष्णा एवं पांवधोई नदियों में प्रदूषण” के संबंध में दिनांक 13.03.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं. 2381 के भाग (ग) और (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

हिंडन नदी बेसिन में आने वाले उत्तर प्रदेश के जिलों के आठ स्थानों से आर्सेनिक और फ्लोराइड से संबंधित भूजल गुणवत्ता डेटा

क्र.सं.	निगरानी स्थान	फ्लोराइड (मिलीग्राम/लीटर)		आर्सेनिक (मिलीग्राम/लीटर)	
		न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम
बीआईएस पेयजल-विनिर्देश (आईएस 10500:2012) (स्वीकार्य सीमा)		1.0 मिलीग्राम/लीटर		0.01 मिलीग्राम/लीटर	
1.	मेरठ शहर, उत्तर प्रदेश में ट्यूबवेल	0.2 (बीडीएल)	0.3	लागू नहीं	लागू नहीं
2.	बागपत शहर, उत्तर प्रदेश में ट्यूबवेल	0.2 (बीडीएल)	0.2 (बीडीएल)	लागू नहीं	लागू नहीं
3.	साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश	0.2 (बीडीएल)	0.2 (बीडीएल)	लागू नहीं	लागू नहीं
4.	मेरठ रोड औद्योगिक क्षेत्र गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश	0.2 (बीडीएल)	0.2 (बीडीएल)	लागू नहीं	लागू नहीं
5.	हापुड़ रोड औद्योगिक क्षेत्र गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश	0.2 (बीडीएल)	0.2 (बीडीएल)	लागू नहीं	लागू नहीं
6.	पिलखुआ औद्योगिक क्षेत्र गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश	0.2 (बीडीएल)	0.2 (बीडीएल)	लागू नहीं	लागू नहीं
7.	गांव दौराला, मेरठ	0.4	0.5	लागू नहीं	लागू नहीं
8.	खेकड़ा, बागपत	0.2 (बीडीएल)	0.2 (बीडीएल)	लागू नहीं	लागू नहीं

* बीडीएल (मापनीय सीमा से कम)

*****